Edit with WPS Office

PROFESSIONAL ETHICS HINDI ONE LINER :

UNIT : 1

1.अधिवक्ताओं अधिनियम 1961 का उद्देश्य विधि व्यवसायी के एक वर्ग का गठन करना है जिसे अधिवक्ता कहा जाता है.

2.अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत व्यक्ति और किसी भी राज्य की भूमिका में प्रवेश किया और एक वकील है.

3.उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया जाता है.

4.बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक कानूनी व्यक्ति है.

5.बार काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन पर अधिवक्ताओं अधिनियम में चर्चा की गई है

6.बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्वायत्त निकाय है.

7.बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानूनी शिक्षा प्रणाली के लिए नियम और कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है.

8.बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक निश्चित कर्तव्यों और कार्यों को ले जाने के प्रभारी है.

9.बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास चल और अचल संपत्ति हासिल करने का अधिकार है.

10.बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी संगठन का सदस्य हो सकता है.

11.भारत के हर राज्य में एक बार काउंसिल हो सकती है.

12.सदस्यों को राज्य बार काउंसिल से अयोग्य ठहराया जा सकता है.

13.न्यायालय में वरिष्ठता से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है.

14.अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर एक वकील को राज्य शासन से हटाया जा सकता है।.

15.एक अधिवक्ता के नाम के आधार पर यदि उसे दोषी पाया जाएगा तो उसे राज्य रोल से हटाया जा सकता है.

16.एक वकील को एक समय के लिए निलंबित किया जा सकता है अगर वह अनुशासनात्मक समिति द्वारा किसी भी कदाचार से बाहर पाया जाएगा.

17.सस्पेंशन के समय और अधिवक्ता कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते.

18.एक वकील का निलंबन अनुशासनात्मक समिति के सामने उसके खिलाफ साबित किए गए आरोपों के आधार पर भिन्न होता है.

19.यदि कोई अधिवक्ता मर गया है तो उसका नाम राज्य रोल से हटा दिया जाएगा.

20.एक वकील के रूप में नामांकित होने के लिए बुनियादी मानदंडों में कानून स्नातक की डिग्री है.

21.किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय से डिग्री होना अनिवार्य है जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

Edit with WPS Office

22.अदालत में एक वकील के रूप में अभ्यास करने के लिए नामांकन राज्य बार काउंसिल में अनिवार्य है.

23.एक अधिवक्ता को अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार अदालत के अंदर ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है।

24.केवल एक नामांकित अधिवक्ता अदालत में एक मामले की पैरवी कर सकता है.

25.एक वकील को उसके पेशे में कदाचार के लिए दंडित किया जा सकता है.

26.अगर वह दुराचार का दोषी पाया जाता है तो राज्य बार काउंसिल अयोग्य अधिवक्ता को सजा दे सकती है.

27.एक अधिवक्ता, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में उल्लिखित काले और सफेद ड्रेस कोड का पालन करने के लिए बाध्य है.

28.कानूनी पेशे के विकास का इतिहास ब्रिटिश काल में शुरू हो गया था.

29.सिविल कोर्ट के रूप में अनुशासनात्मक समिति के पास अधिकार हैं.

30.हर कोई अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, केवल एक वकील अदालत के अंदर अभ्यास कर सकता है और एक जज के सामने अपना मामला पेश कर सकता है.

31.अनुशासनात्मक समिति के पास एक वकील को दंडित करने की सभी शक्तियाँ हैं यदि वह अपने पेशे के दौरान किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है.

32.एक वकील का नामांकन और प्रवेश राज्य बार काउंसिल के तहत पूरा होता है.

33.एक अधिवक्ता का अपने पेशे के प्रति कर्तव्य है कि वह जरूरतमंद और गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे.

34.अधिवक्ताओं अधिनियम 1961 की धारा 4(1) के अनुसार यह प्रावधान है कि भारत में एक भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल)होगी.

35.बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा.धारा 4(2).

36.धारा 5 में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक निकाय कॉर्पोरेट होगा.

37.बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यों का उल्लेख अधिनियम की धारा 7 के तहत किया गया है.

38.नामांकन का प्रमाण पत्र वह दस्तावेज है जो राज्य बार काउंसिल में नामांकित होने के बाद एक वकील को प्रदान किया जाता है.

Edit with WPS Office

UNIT : II

39.वकालत में पेशेवर नैतिकता रखना इस पेशे का सबसे बुनियादी सिद्धांत है.

40.पेशेवर नैतिकता नैतिक सिद्धांतों पर निर्धारित कोड हैं जो व्यक्ति को पेशे में आचरण करते हैं.

41.एक वकील को अपने ग्राहक के साथ उचित व्यवहार करने वाले पेशेवर कोड का पालन करना चाहिए.

42.भारत सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत भारत के बार काउंसिल के रूप में जानी जाने वाली एक प्रतिमा संस्था का गठन किया है.

43.बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पेशेवर आचरण के उचित मानक के तहत नियमों को तैयार किया है.

44.भाग vi अध्याय II एक वकील के आचरण के मानक से संबंधित है.

45.अधिवक्ता के 39 नियमों और कर्तव्यों का उल्लेख अधिनियम के तहत किया गया है.

46.वकालत के पेशे में एक वकील के लिए पेशेवर नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है.

47.एक वकील और उसके मुवक्किल के बीच का संबंध एक विवादास्पद संबंध होना चाहिए.

48.वकालत और अधिवक्ता के पेशे में कई कर्तव्य होते हैं जिनका उन्हें अपने काम के दौरान पालन करना होता है.

49.अपने कानूनी पेशे के प्रति अपने ग्राहक के प्रति उर्वरता और वफादारी बनाए रखने के लिए अधिवक्ताओं का कर्तव्य है.

50.वकालत के पेशे में एक वकील की अच्छी नैतिकता समाज में अपना सम्मान बनाने के लिए नेतृत्व करती है.

51.वकालत के पेशे में एक वकील के कुछ दायित्व और सीमाएँ हैं जो उसके पेशे के प्रति अधिकार और कर्तव्य हैं जिसे वह अवज्ञा नहीं कर सकता है।

52.एक अधिवक्ता के लिए चार अनिवार्य कर्तव्य होते हैं, जिसका उसे अपने अभ्यास के दौरान पालन करना होता है ,और चार कर्तव्य; कर्तव्य न्यायालय के प्रति ,कर्तव्य विरोधी के प्रति , प्रतिद्वंद्वी के प्रति कर्तव्य और सहयोगियों के प्रति कर्तव्य.

53.वकालत के पेशे में न्यायालय और न्यायाधीश के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने के लिए एक वकील की आवश्यकता होती है.

54.यह एक वकील के लिए अदालत के किसी भी फैसले को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह मामले में अपनी व्यक्तिगत रुचि रखता है।.

55.यह एक वकील की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार में शामिल न हो.

56.यह एक वकील की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने मुवक्किल के प्रति सम्मानजनक हो और एक बार उसके द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद उसे बिना किसी कारण के मामले से पीछे नहीं हटना चाहिए।

57.एक वकील के पास अपने सहयोगियों के प्रति जिम्मेदारी है कि वह किसी भी निर्णय पर काबू न रखे या किसी भी मामले के लिए किसी भी सबूत या सामग्री को बाधित न करे.

58.एक वकील को पेशेवर सेवाओं के लिए विज्ञापन में अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Edit with WPS Office

59.एक वकील को किसी भी मामले में निवेदन नहीं करना चाहिए जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से रुचि रखता है क्योंकि यह मामले के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है.

60.एक वकील दो अलग-अलग पक्षों के लिए एक ही मामले पर उपस्थित नहीं हो सकता है.

61.एक वकील का अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति नैतिक कर्तव्य होता है और वह अपने विरोधी पक्ष से संबंधित किसी भी मामले पर बातचीत नहीं कर सकता है.

62.एक वकील को मामले को अपने पक्ष में ढालने के लिए कोई नकली सबूत या झूठे रिकॉर्ड नहीं बनाने चाहिए.

63. व्यावसायिक सेवाओं के लिए और सहायता के लिए, वकालत करने वाले नाम को प्रचार के रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा.

64.यदि वह पेशेवर दुराचार का दोषी पाया जाता है, तो एक वकील का नाम राज्य से हटा दिया जा सकता है.

65.वकालत का पेशा न्याय पाने के लिए ज़रूरतमंदों की मदद करके समाज को लाभ पहुँचाना है.

66.भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। प्रत्येक राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है।

67.बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्याय II के सेक्शन 6 के नियम 46 से यह स्पष्ट होता है कि व्यवहार में प्रत्येक अधिवक्ता जरूरतमंद को न्याय दिलाने में मदद करेगा.

68.मुफ्त कानूनी सहायता समाज के प्रति एक वकील का सर्वोच्च दायित्व है.

69.धारा 7(2)(b) के अनुसार मुफ्त कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से राज्य बार काउंसिल एक या अधिक धन का गठन कर सकती है.

70.बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में अधिवक्ताओं अधिनियम की धारा 9 ए में एक या एक से अधिक कानूनी सहायता समिति का गठन किया जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक समिति में 9 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 5 से कम सदस्य नहीं होंगे।

71.कुछ मामलों में विधिक सहायता सेवा किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी और वे मानहानि के दुर्भावनापूर्ण अभियोजन पक्ष हैं.

72.एक वकील जो निशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए काम कर रहा है, उसे नकद या उस तरह की सेवाओं में कोई शुल्क या पारिश्रमिक नहीं मिल सकता है जो वह प्रदान कर रहा है.

73.एक वकील जो निशुल्क कानूनी सेवा के लिए काम कर रहा है, उसे समिति द्वारा देय मानदेय का भुगतान किया जाएगा.

UNIT : III

74.जिस स्थान पर न्यायाधीश अपनी सीट लेते हैं, वह बेंच के रूप में एड्रेस्ड है.

75.जिस स्थान पर अधिवक्ता बैठते हैं वह बार के रूप में संबोधित किया किया जाता हैं.

76.सभी मामलों के लिए न्याय की प्राप्ति और बड़े पैमाने पर समाज हमारी न्यायिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है.

Edit with WPS Office

77.बार और बेंच हमारी न्यायिक प्रणाली की पूर्ति के लिए सबसे आवश्यक साझेदार हैं.

78.जजों और एडवोकेट के बीच के रिश्ते को अक्सर बार और बेंच रिलेशनशिप कहा जाता है.

79.मामलों के सुचारू संचालन के लिए न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के बीच एक अच्छा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है.

80.नागरिकों को न्याय प्रदान करना न्यायाधीशों और अधिवक्ता की संयुक्त जिम्मेदारी है.

81.न्यायाधीशों के पास जो शक्तियां होती हैं, वे किसी भी अन्य कार्य से अधिक होती हैं.

82.देश के सभी नागरिकों को किसी भी मामले के लिए न्यायाधीश के फैसले का पालन करना होगा.

83.यदि न्यायाधीश भ्रष्ट हो जाते हैं तो नागरिकों के जीवन के साथ कोई सुरक्षा नहीं रह जाएगी और न्याय प्राप्त करने के लिए.

84.राज्य को जरूरत है और न्यायपालिका जो शक्तिशाली और निष्पक्ष हो.

85.न्यायाधीश को हर मामले के लिए धीरज/ धैर्य से मामले की सुनवाई का कर्तव्य करना चाहिए.

86.किसी भी मामले की सुनवाई में न्यायाधीश को मामले के प्रति पक्षपाती नहीं होना चाहिए या मामले पर किसी भी तरह की राय नहीं बनानी चाहिए.

87.न्यायाधीश को केवल न्याय के हित में कार्य करना चाहिए.

88.एक मामले को पेश करते समय न्यायाधीश को अपने मामले को अदालत में पेश करने के लिए अधिवक्ताओं को समान अवसर देना चाहिए.

89.न्याय के प्रशासन की प्रक्रिया के दौरान न्यायालय द्वारा विधियों की व्याख्या की जानी है.

90.यह बार और बेंच दोनों की जिम्मेदारी है कि वे ; हर्ष टिप्पणियों का उपयोग करने से बचने,अनुचित कार्यवाही से बचने,सभी मामलों को शीघ्र निपटान देने का प्रयास करें.

UNIT IV :

91.धारा 2a, के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ है नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना.

92.धारा 2b, सिविल अवमानना की धारा का अर्थ है किसी भी निर्णय डिक्री आदेश रिट या अदालत की किसी भी अन्य प्रक्रिया के प्रति अवज्ञा.

93.धारा 2c, आपराधिक अवमानना का अर्थ है प्रकाशन, चाहे वह शब्दों द्वारा या लिखित या विज्ञान द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा.

94.धारा 2d, उच्च न्यायालय का मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोड होता है और इसमें किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय शामिल होता है.

95.निर्दोष प्रकाशन और मामले के वितरण में अदालत की अवमानना नहीं होगी.

96.किसी व्यक्ति को इस आधार पर अदालत की अवमानना का दोषी नहीं माना जाएगा कि उसने कोई भी मामला प्रकाशित किया है, जो न्याय की अदालतों में हस्तक्षेप करता है.

Edit with WPS Office

97.किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही के संबंध में, जो प्रकाशन के समय लंबित नहीं है, न्यायालय की अवमानना करने के लिए डीम्ड नहीं होगी.

98.न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट अदालत की अवमानना नहीं है.

99.न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी व्यक्ति को न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी नहीं माना जाएगा।

100.अधीनस्थ अदालत के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने पर अदालत की अवमानना नहीं होगी.

101.चैंबर्स या कैमरे में कार्यवाही से संबंधित जानकारी का प्रकाशन न्यायालय की अवमानना नहीं है.

102.उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है.

103.उच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वह अपराधों या अपराधियों को क्षेत्राधिकार से बाहर अधिकार क्षेत्र के बाहरकी कोशिश कर सके.

104.न्यायालय की अवमानना के आवश्यक तत्व प्रतिवादी वसीयत की अवज्ञा द्वारा आदेश के एक वैध न्यायालय के आदेश का ज्ञान कर रहे हैं.

105.न्यायालय की अवमानना के लिए अदालत की अवमानना की अवधि है, इस पर अदालत की कार्रवाई अधिनियम 1971 की धारा 20 के तहत चर्चा की गई है.

106.उस समय से एक वर्ष के लिए समय अवधि है जिस दिन सामग्री का आरोप लगाया गया है.

107.अधिनियम की धारा 13 के अनुसार किसी व्यक्ति को अवमानना के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि न्याय के उचित पाठ्यक्रम के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है.

108.P N duda बनाम VP शिव शंकर और अन्य 1988 के मामले में अदालत ने कहा कि अदालत की आलोचना जो न्याय के प्रशासन में बाधा नहीं है उसे अवमानना के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता है.

109.अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अवमानना की सजा का उल्लेख किया गया है ;

110.धारा 12 के अनुसार, एक व्यक्ति को अवमानना करने का दोषी माना जाता है जिसे या तो छह महीने की वर्तमान अवधि में या तो दो हजार 2000 तक जुर्माना हो सकता है।

111.अवमानना की सजा छह महीने से अधिक और 2,000 तक जुर्माना नहीं हो सकता।

अदालत अधिकतम सजा दे सकती है.

112.अधिनियम की धारा 10 के अनुसार उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार क्षेत्र और अधिकार है.